जिस चीज़ की अधिक मात्रा नशा लाए, उसकी कम मात्रा भी हराम है।

जाबिर -रज़ियल्लाहु अनहु- का वर्णन है, वह बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल -
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया है : "जिस चीज़ की अधिक मात्रा नशा लाए, उसकी कम मात्रा भी हराम है।"
[ह़सन] [इस ह़दीस़ को अबू दावूद, तिर्मिज़ी, इब्न-ए-माजह और अह़मद ने रिवायत किया है]

अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने बताया है कि खाने-पीने की हर वह चीज़, जो अधिक मात्रा में लिए जाने से इन्सान की अक़्ल को ले उड़ती है, उसकी कम मात्रा लेना भी हराम है। चाहे अक़्ल न भी ले जाए।

http://www.sunnah.global/hadeeth/hi/show/66036